

डिक्री एवं मुकदमे ईबतदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 232/2025

- 1 नन्दपाल सिंह पुत्र पृथ्वीचंद जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा हाल आबाद संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 विजय सिंह पुत्र पृथ्वीचंद जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा हाल आबाद नजदीक रतनदीप स्कुल हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ
- 3 मुदित सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा हाल आबाद संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादीगण

बनाम

- 1 पृथ्वीचन्द पुत्र खेत सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 जय सिंह पुत्र पृथ्वीचंद जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 विनोद कंवर पुत्री पृथ्वीचंद पत्नी श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
- 4 राजकंवर पुत्री पृथ्वीचंद पत्नी लखन सिंह जाति राजपूत निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
- 5 हिमांक्षी पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नी राहुल सिंह जाति राजपूत निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
- 6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण व श्री चरणजीत सिंह सिद्ध वकील प्रति स. 1, 3 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 17 एम.जे.डी. खाता स. 81/55 खाता पृथ्वीचन्द ज.स. 2073-76 में प्रति स. 1 पृथ्वीचन्द पुत्र खेत सिंह के नाम दर्ज कुल 5.565 है0 आराजी में 3.414 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है व 1.012 है0 आराजी का प्रति स. 1 व 1.139 है0 आराजी का प्रति स. 2 खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता की कुल आराजी दावा की दफा 4 के अनुसार वादीगण व प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज की जावे। इसमें प्रति स. 3 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है व दावा की दफा 4 के अनुसार वादीगण व प्रति स. 1 व 2 का खाता अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग कायम की जावे। दावा की दफा 4 निम्नप्रकार से है:-

ए. वादी स. 1 नन्दपाल सिंह का हिस्सा:- चक 17 एम.जे.डी.

115/175 28 11 ता 13/.253प्र. = 0.759 है0

116/175 29 20/.126 21/.253 = 0.379 कुल 1.138 है0 आराजी

बी. वादी स. 2 विजय सिंह का हिस्सा:- चक 17 एम.जे.डी.

115/175 28 18 ता 20/.253प्र. = 0.759 है0

116/175 29 19/.126 22/.253 = 0.379 है0 कुल 1.138 है0 आराजी

सहायक कलैक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

सी. वादी स. 3 मुदित सिंह का हिस्सा:- चक 17 एम.जे.डी.
115/175 28 1/1/.227 1/2/.025 गै.मु.रास्ता 2/1/.228
2/2/.025 गै.मु.रास्ता 3/1/.228 3/2/.025 गै.मु.
रास्ता = 0.758 है०

116/175 29 11/.253 20/.127 = 0.380 है० कुल 1.138 है० आराजी

डी. प्रति स. 1 पृथ्वीचन्द का हिस्सा:- चक 17 एम.जे.डी.

115/174 10 24-25/.253 प्र = 0.506 है०

116/175 29 9-10/.253 प्र = 0.506 है० कुल 1.012 है० आराजी

प्रति स. 2 जय सिंह का हिस्सा:- चक 17 एम.जे.डी.

115/175 28 8 ता 10/.253 प्र. = 0.759 है०

116/175 29 12/.253 19/.127 = 0.380 है० कुल 1.139 है० आराजी

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरासद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2023 को
जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपरखण्ड अधिकारी
संगरिया